(27)

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 254] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 30, 2007/भाद्र 8, 1929
No. 254] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 30, 2007/BHADRA 8, 1929

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2007

विषय : चीन जन. गण., श्रीलंका और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित कम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैम्प्स के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच शुरू करना ।

सं. 14/1/2007-डीजीएडी.—मै. इंडो एशियन फ्यूजगेयर लि., मै. हावेल्स इंडिया लि. और मै. ओसराम इंडिया प्रा.लि., ने सीमाशुल्क टैरिफ (संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियम, 1995 के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष संयुक्त रूप से एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जन. गण., मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम के मूल के अथवा वहां से निर्यातित बैलास्ट/कंट्रोल गियर/चोक सहित या रहित संयोजित अथवा असंयोजित, सीकेडी या एसकेडी स्थितियों में कम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैम्प्स के पाटन का आरोप लगाया गया है और पाटनरोधी जांच शुरू करने और पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है ।

विचाराधीन उत्पाद

वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद बैलास्ट/कंट्रोल गियर/चोक सहित या रहित संयोजित अथवा असंयोजित, सीकेडी या एसकेडी स्थितियों में कम्पैक्ट फ्लूरेसेंट लैम्प्स है । बैलास्ट/चोक/कंट्रोल गियर से रहित असंयोजित सीएफएल में लैम्प आधार सहित या रहित शील्ड टुबलर शैल शामिल होगा । तैयार कम्पैक्ट फ्लूरेसेन्ट लैम्प हैं (i) अंतर्निहित बैलास्ट/कंट्रोल गियर/चोक सहित समेकित प्रकार और (ii) अंतर्निहित बैलास्ट/कंट्रोल गियर/चोक रहित असमेकित प्रकार । संबद्ध वस्तु का प्राथमिक रूप से उपयोग प्रकाश के प्रयोजनार्थ विद्युतीय अनुप्रयोगों में किया जाता है ।

संबद्ध वस्तु सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 85 के उपशीर्ष सं. 8539.31 तथा 8539.90 के अंतर्गत आती है । यह सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी रूप में बाध्यकारी नहीं है ।

2. समान वस्तु

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु संबद्ध देशों के मूल के या वहाँ से निर्यातित वस्तु के समान वस्तुएँ हैं । याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु और संबद्ध देशों से निर्यातित वस्तुओं में कोई खास अंतर नहीं है । याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये दोनों वस्तुएं तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं । वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता कंपनियों द्वारा उत्पादित वस्तु को उपर्युक्त नियमों के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद के समान वस्तु माना जा रहा है ।

3. घरेलू उद्योग की स्थिति

यह आवेदन मै. इंडो एशियन फ्यूजगेयर लि., मै. हावेल्स इंडिया लि. और मै. ओसराम इंडिया प्रा. लि. द्वारा दायर किया गया है । इन उत्पादकों ने वर्तमान जांच से संगत सूचना उपलब्ध कराई है और प्रस्तावित जांच में भाग लेने की सहमति व्यक्त की है । संबद्ध वस्तु का उत्पादन आयातित शील्ड, ग्लास टुबलर शैलों का उपयोग करके अनेक अन्य कम्पनियों द्वारा किया जाता है । ये कम्पनियाँ मूलभूत उत्पादन कार्यकलाप नहीं करती हैं और ये पर्याप्त मात्रा में संबद्ध वस्तु के आयातक हैं । याचिकाकर्ताओं ने इलैक्ट्रिक लैम्प एंड कंपोनेंट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसएशन (ईएलसीओएमए) द्वारा संकलित उत्पादन संबंधी सूचना उपलब्ध कराई है जिसमें भी यह नहीं दर्शाया गया है कि मै. एंकर डेबु इंडस्ट्रीज, फिनिक्स और सूर्या रोशनी को छोड़कर संबंधित उत्पाद का कोई अन्य उत्पादक है । मै. सूर्या रोशनी लि. ने वर्तमान याचिका का समर्थन किया है । तथापि, कम्पनी ने वर्तमान जांच अवधि तक आयातित शील्ड ग्लास टुबलर शैलों से संबद्ध वस्तु का उत्पादन किया है और इस प्रकार उसे घरेलू उद्योग का भाग नहीं माना जाता है । यह नोट किया जाता है कि इन आवेदक कम्पनियों के उत्पादन का हिस्सा भारतीय उत्पादन के 50% से अधिक है । प्राधिकारी यह निर्धारित करते हैं कि याचिकाकर्ता कम्पनियों का उत्पादन का भारतीय उत्पादन में एक बड़ा अनुपात है और इसलिए याचिकाकर्ता नियम 2(घ) के साथ पठित नियम 2(ख) के अभिप्राय के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और यह याचिका उपर्युक्त नियम के नियम 5 के अनुसार मानदण्डों को पूरा करती है ।

4. शामिल देश

यह याचिका चीन जन. गण., मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने की माँग करते हुए दायर की गई है । तथापि, याचिका में निहित सूचना से यह पता चलता है कि मलेशिया से हुए आयातों की मात्रा आयातों की कुल मात्रा के 3% से कम है । चूँकि मलेशिया से हुए आयात मात्रा की दृष्टि से नगण्य हैं इसलिए प्राधिकारी मलेशिया से हुए आयातों के विरुद्ध जांच शुरू करना उचित नहीं समझते हैं । अतः वर्तमान जांच में शामिल देश चीन जन. गण., श्रीलंका और वियतनाम (जिन्हें आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) हैं ।

5. सामान्य मूल्य

याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि चीन जन. गण. एवं वियतनाम को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और इनके सामान्य मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमों के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है । याचिकाकर्ताओं ने भारत में उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए, बिक्री, सामान्य, प्रशासनिक खर्च और उचित लाभ को विधिवत समायोजित करते हुए सामान्य मूल्य का दावा किया है ।

नियमों के अनुबंध- 1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जनवादी गणराज्य एवं वियतनाम के संबंध में सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ यूरोपीय संघ को एक उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में चुने जाने की परिकल्पना की गई है । हितबद्ध पक्षों से एतद्द्वारा इस अधिसूचना में निर्धारित विशिष्ट समयावधि के भीतर इस विकल्प की उपयुक्तता के बारे में टिप्पणियां मांगी गई हैं । जहां तक श्रीलंका का संबंध है, याचिकाकर्ताओं ने बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक ऊपरी खर्च तथा उचित लाभ सहित परिकलित उत्पादन लागत पर विचार करते हुए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का दावा किया है । संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के लिए दावा किए गए सामान्य मूल्य का पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है ।

6. निर्यात कीमत

याचिकाकर्ताओं ने संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के निर्यात कीमत का दावा किया है क्योंकि प्रस्तावित अवधि में आयात कीमत दिसम्बर, 2006 तक की अवधि के लिए डीजीसीआई एण्ड एस द्वारा उपलब्ध कराए गए सौदे- वार आयात आंकड़ों और जनवरी- मार्च, 2007 तक की अवधि के लिए आईबीआईएस पर आधारित है । सीएफएल के अलग- अलग प्रकारों के लिए अलग- अलग निर्यात कीमत निर्धारित की गई है । इस प्रयोजनार्थ उत्पाद को सर्वप्रथम तीन श्रेणियों- शील्ड ग्लास टुबलर शैल चोक रहित सीएफएल और चोक सहित सीएफएल में विभाजित किया गया है । तत्पश्चात् वाट के अनुसार सीएफएल के प्रत्येक प्रकार को विभिन्न प्रकारों में अलग से वर्गीकृत किया गया है ।

कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत निकालने के लिए समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा तथा निर्यात के देश में अंतर्देशी परिवहन, पत्तन हैंडलिंग और पत्तन प्रभारों के लिए समायोजनों का दावा किया गया है । सम्बद्ध देशों से सम्बद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का पर्याप्त साक्ष्य है ।

7. पाटन मार्जिन

सीएफएल के प्रत्येक प्रकार के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार पर अलग-अलग तुलना की गई है और तत्पश्चात् उसे आयातों की संबंधित मात्रा पर विचार करते हुए संचयी बनाया गया है जिससे प्रत्येक संबद्ध देश के संबंध में काफी पाटन मार्जिन मालूम होता है । यह माना जाता है कि प्रथम दृष्ट्या यह साक्ष्य मालूम हुआ है कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध वस्तु का संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा पाटन किया जा रहा है ।

8. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

याचिकाकर्ताओं ने घरेलू उद्योग के लिए वास्तविक क्षति और वास्तविक क्षति के खतरे से संबधित विभिन्न मानदण्डों के संबंध में सूचना प्रस्तुत की है । भारत में उत्पादन और खपत के समग्र रूप में और उसकी तुलना में आयातों में वृद्धि, पर्याप्त कीमत कटौती, मालसूची में वृद्धि, घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पर्याप्त गिरावट, लाभ, नकदी प्रवाह और निवेश पर आय में भारी गिरावट, पर्याप्त कीमत कटौती जैसे मापदण्डों से प्रथम दृष्ट्या सामूहिक एवं संचयी रूप से यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन के कारण वास्तविक क्षति हुई है । भारतीय उत्पादन में समग्र रूप से और उसके संबंध में संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि, पर्याप्त कीमत कटौती, संबद्ध देशों में पर्याप्त क्षमताओं जैसे कारकों का दावा, संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति के अपने खतरे के समर्थन में किया गया है ।

9. पाटनरोधी जांच की शुरूआत

उपर्युक्त को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने यह पाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को हुई क्षति और पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध का प्रथम दृष्ट्या पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और इसलिए प्राधिकारी आरोपित पाटन की मौजूदगी, उसकी मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और ऐसे पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने, जिसे यदि वसूल किया जाता है तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, के लिए उक्त नियम के नियम 5 के अनुसार आरोपित पाटन तथा घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जांच शुरू करते हैं ।

10. जांच की अवधि (पीओआई)

वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2007 (12 महीने) तक की है । तथापि, क्षति संबंधी जांच के लिए अवधि 1 अप्रैल, 2003 से पीओआई की समाप्ति तक की होगी ।

11. सूचना प्रस्तुत करना

संबद्ध देशों के निर्यातकों और भारत के आयातकों जो इस जांच के संबंध में ज्ञात हैं, को निर्धारित विधि और पद्धति से संबंधित सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है और उन्हें यह भी कहा गया है कि वे अपने विचारों से निर्दिष्ट प्राधिकारी को निम्नलिखित पते पर अवगत कराएं -

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
भारत सरकार
कमरा सं. 240
उद्योग भवन, नई दिल्ली- 110107

उपरोक्त नियम के नियम 6(5) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने जांचाधीन वस्तु के औद्योगिक उपभोक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को जो पाटन, क्षति और कारणात्मक संबंध से संबंधित जांच के लिए संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है, भी अवसर प्रदान किया है । अन्य कोई हितबद्ध पार्टी भी नीचे निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकती है ।

12. समय सीमा

क) सामान्य समय सीमा

वर्तमान जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में दी जाए जो उपरोक्त पते पर निर्दिष्ट प्राधिकारी के पास इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से चालीस दिनों के भीतर पहुंच जानी चाहिए । तथापि, जिन ज्ञात निर्यातकों और आयातकों को अलग से लिखा जा रहा है, उन्हें अलग से लिखे गए पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर सूचना देनी होगी ।

ख) बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के चयन के लिए विशिष्ट समय- सीमा

जांच से संबंधित हितबद्ध पक्षकार यूरोपीय संघ, जो इस जांच संबंधी अधिसूचना के पैरा 5 में किए गए उल्लेख के अनुसार जीन जन. गण. के संबंध में सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में परिकल्पित है, के औचित्य के संबंध में टिप्पणी प्रस्तुत कर सकते हैं । ये टिप्पणियां इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से दो सप्ताह के भीतर अवश्य प्रस्तुत की जानी चाहिए ।

13. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

नियम 6(7) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी एक सार्वजनिक फाइल रखते हैं । कोई हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर वाली सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है ।

14. असहयोग

यदि कोई हितबद्ध पक्षकार जांच में सहयोग करने से इंकार करता है, अथवा उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचनाएं अन्य प्रकार से प्रस्तुत नहीं करता है अथवा जांच में काफी बाधा डालता है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष रिकार्ड कर सकता है और ऐसी सिफारिशें केन्द्र सरकार को कर सकता है जो वह उचित समझे ।

15. अगोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

नियमावली के नियम 6(7) के अनुसार हितबद्ध पक्षकारों के लिए प्राधिकारी को उपलब्ध कराई गई किसी गोपनीय सूचना का अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करना अपेक्षित है और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश प्रस्तुत करना संभव नहीं है तो उसक कारण दर्शाने वाला एक विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

आर. गोपालन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2007

Subject : Initiation of Anti-dumping Investigations concerning import of *compact fluorescent lamps* originating in or exported from China PR, Sri Lanka and Vietnam.

No. 14/1/2007-DGAD.—M/s. Indo Asian Fusegear Ltd., M/s. Havell's India Ltd. and M/s. Osram India Pvt. Ltd., have jointly filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act, 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for

Determination of Injury) Rules, 1995 alleging dumping of *compact fluorescent lamps with or without ballast/control gear/choke, whether or not assembled, either in CKD or SKD conditions* originating in or exported from China PR, Malaysia, Sri Lanka and Vietnam and have requested for initiaton of anti-dumping investigations and levy of anti-dumping duties.

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present investigation is compact fluorescent lamps with or without ballast/control gear/choke, whether or not assembled, either in CKD or SKD conditions. Unassembled CFL without ballast/ choke/ control gear would comprise sealed tubular shell with or without lamp base. Finished compact fluorescent lamps are (i) integrated type with built in ballast / control gears / choke and (ii) non-integrated type without built in control gears/ballast/choke. The subject goods are primarily used in electrical applications for illumination purpose.

The subject goods falls under Chapter 85 of the Custom Tariff Act, 1975 under subheading no. 8539.31 and 8539.90. The customs classification is indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

2. LIKE GOODS

The petitioners have claimed that goods produced by domestic industry are like articles to the goods originating in or exported from subject countries. There is no significant difference in the subject goods produced by the petitioners and those exported from subject countries. Petitioners claim that the two are technically and commercially substitutable. For the purpose of present investigation, the goods produced by the petitioner companies are being treated as Like Articles to the product imported from the subject countries within the meaning of the Rules supra.

3. DOMESTIC INDUSTRY STANDING

The application has been filed by M/s Indo Asian Fusegear Ltd., M/s Havell's India Ltd., and M/s Osram India Pvt. Ltd. These producers have provided information relevant to the present investigations and have consented to participate in the proposed investigations. The subject goods are produced by a number of other companies by using imported sealed glass tubular shells. These companies do not undertake basic production activities and are importers of the subject goods in significant volumes. Petitioners have provided production information compiled by Electric Lamp & Components Manufacturers Association (ELCOMA), which also does not show that there is any other producer of the product concerned, except M/s Anchor Daewoo

Industries, Phoenix and Surya Roshni. M/s. Surya Roshni Ltd. has supported the present petition. The company however, has produced subject goods from imported sealed glass tubular shells upto the present investigation period and hence is not considered to be part of domestic industry. It is noted that the production of these applicant companies constitutes more than 50% of Indian production. The Authority has determined that production of the petitioner companies constitute a major proportion in Indian production and therefore petitioners constitute domestic Industry within the meaning of the rule 2(b) read with 2(d) and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5 of the Rules supra .

4. COUNTRIES INVOLVED

The petition has been filed seeking imposition of anti dumping duties on imports of the product under consideration from China PR, Malaysia, Sri Lanka and Vietnam. However, the information contained in the petition shows that the volume of imports from Malaysia is below 3% of total volume of imports. As imports from Malaysia are negligible by the reason of volume, the Authority does not consider it appropriate to initiate investigations against imports from Malaysia. The countries involved in the present investigation, therefore, are China PR, Sri Lanka and Vietnam (hereinafter also referred to as subject countries).

5. NORMAL VALUE

The petitioners have claimed that China PR and Vietnam should be treated as non-market economy and have determined normal value in accordance with Para 7 of Annexure I of the Anti Dumping Rules. The petitioners have claimed normal value considering cost of production in India, duly adjusted to include selling, general, administrative overheads & reasonable profit.

In accordance with Para 7 to Annexure-I of the Rules, it is envisaged to choose European Union as an appropriate market economy Country for the purpose of establishing normal value in respect of China PR and Vietnam. Interested parties are hereby invited to comment on the appropriateness of this choice within the specific time limit laid down in this notification. With regard to Sri Lanka, petitioners have claimed normal values for the subject goods considering constructed cost of production including selling, general & administrative overheads and reasonable profit. There is sufficient evidence of the normal value claimed for the subject goods in subject countries.

6. EXPORT PRICE

The petitioners have claimed export price of the subject goods from the subject countries as the import price in the proposed period, based on transaction wise import data provided by the DGCI&S for the period upto Dec., 2006 and based on IBIS for the period Jan.-March, 2007. Export price has been separately determined for different types of CFL. For the purpose, the product has been divided first into three categories – sealed glass tubular shells, without choke CFL and with choke CFL. Thereafter, each type of CFL has been separately classified in different types on the basis of wattage.

Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance and inland transportation in the country of exports, port handling and port charges to arrive at ex-factory export price. There is sufficient evidence of the export price for the subject goods from the subject countries.

7. DUMPING MARGIN

Normal value and export price have been compared at ex-factory level, separately for each type of CFL and thereafter cumulated considering the associated volume of imports, which shows significant dumping margin in respect of each of the subject countries. It is considered that there is sufficient prima facie evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, prima facie, that the subject goods are being dumped by exporters from the subject countries.

8. INJURY AND CAUSAL LINK

The petitioners have furnished information on various parameters relating to material injury and threat of material injury to the domestic industry. Parameters such as increase in imports in absolute terms as also relative to production and consumption in India, significant price undercutting, increase in inventories, significant decline in the market share of the domestic industry, significant deterioration in profits, cash profit and return on investment, significant price undercutting, prima facie, collectively and cumulatively indicate that the domestic industry has suffered material injury on account of dumping of subject goods from subject countries. Factors such as significant increase in import volumes of subject goods from subject countries in absolute terms and in relation to Indian production, significant price undercutting, significant capacities in the subject countries have been claimed in support of their claim of threat of material injury on account of dumped imports from subject countries.

9. INITIATION OF ANTI DUMPING INVESTIGATIONS

In view of the above, the Designated Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods from subject countries, injury to domestic industry and causal link between dumping and injury exists, and therefore, the Authority initiates an investigation into alleged dumping and consequent injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping and to recommend the amount antidumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

10. PERIOD OF INVESTIGATION (POI)

The Period of Investigation for the purpose of the present investigation is 1st April 2006 to 31st March 2007 (12 months). However, the period for injury examination would cover periods from 1st April 2003 to the end of the POI.

11. SUBMISSION OF INFORMATION

The exporters in the subject countries and the importers in India known to be concerned with this investigation are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Designated Authority at the following address

Directorate General of Anti Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce,
Government of India,
Room No. 240,
Udyog Bhavan, New Delhi – 1100107.

As per Rule 6(5) of Rule supra, the Designated Authority is also providing opportunity to the industrial users of the article under investigation, and to representative consumer organizations who can furnish information which is relevant to the investigation regarding dumping, injury and causality. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation within the time limit set out below.

12. TIME LIMIT

a) General Time Limits

Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days from the date of publication of this notification. The known exporters and importers, who are being

3658 GI/07—3

addressed separately, are however required to submit the information within forty days from the date of the letter addressed to them separately.

b) Specific time limit for selection of market economy country

Interested parties to the investigation may wish to comment on the appropriateness of the European Union which, as mentioned in the Para 5 of this initiation notification, envisaged as a market economy country for the purpose of establishing normal value in respect of the China PR. These comments must be submitted within four weeks from the date of publication of this notification.

13. INSPECTION OF PUBLIC FILE

In terms of Rule 6(7), Designated Authority maintains a public file. Any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

14. NON-COOPERATION

In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Designated Authority may record findings on the basis of facts available and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

15. SUBMISSION OF INFORMATION ON NON-CONFIDENTIAL BASIS:

In terms of Rule 6(7), of the Rules the interested parties are required to submit non-confidential summary of any confidential information provided to the Authority and if in the opinion of the party providing such information, such information is not susceptible to summarization, a statement of reason thereof is required to be provided.

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.